

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 879 सन 2020

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. दलीपसिंह पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
4. इमरती पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 403/365 की कुल 4.0480हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 273/277 की कुल 10.3070हैक व खाता संख्या 141/340 की कुल 8.0050हैक व खाता संख्या 287/287 की कुल 19.7483हैक में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता लिछमणराम के नाम से दर्ज थी लिछमणराम एवं उसकी पत्नि जयकोरी का देहान्त हो चुका है लिछमणराम एवं जयकोरी के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जिनमें नाम विरास्तन से वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को रवीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता/माता लिछमणराम/जयकोरी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिरसा की भूमि को अपने भाई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिरसा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 403/365 की कुल 4.0480हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 273/277 की कुल 10.3070हैक व खाता संख्या 141/340 की कुल 8.0050हैक व खाता संख्या 287/287 की कुल 19.7483हैक में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता लिछमणराम के नाम से दर्ज थी लिछमणराम एवं उसकी पत्नि जयकोरी का देहान्त हो चुका है लिछमणराम एवं जयकोरी के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जिनमें नाम विरास्तन से वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिरसा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 403/365 की कुल 4.0480हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 273/277 की कुल 10.3070हैक व खाता संख्या 141/340 की कुल 8.0050हैक व खाता संख्या 287/287 की कुल 19.7483हैक में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता /माता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हुई

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिरसा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

  
उपखण्ड अधि...  
बोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 403/365 की कुल 4.0480हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 273/277 की कुल 10.3070हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव दर्ज की जावे एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 141/340 की कुल 8.0050हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 506/8005 हिस्सा एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 287/287 की कुल 19.7483हैक भूमि में वादी अकेला 345/35906 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 345/35906हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 345/35906हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 345/35906हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

1. देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  2. दलीपसिंह पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  3. महेन्द्रसिंह पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  4. इमरती पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  5. विमला पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  6. सावित्री पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड साकिन मेधाना तहसील नोहर।
  7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
- प्रतिवादीगणवाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**राजस्व वाद संख्या 579 सन 2020 निर्णय दिनांक- 05/01/2021**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 403/365 की कुल 4.0480हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 273/277 की कुल 10.3070हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव दर्ज की जावे एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 141/340 की कुल 8.0050हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 506/8005 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 506/8005 हिस्सा एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 287/287 की कुल 19.7483हैक भूमि में वादी अकेला 345/35906 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 345/35906हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 345/35906हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 345/35906हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर